

कार्यालय जिला कलक्टर, (भू अमि.) झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :- 07432-230645,  
07432-203646

फोन नं.-07432-230403  
फैक्स नं 07432-230404  
Email% dm.jha 02@raj. n

क्रमांक:एफ-5/भू अमि./स्था./19/ 68

दिनांक : 15 07 2019

-: आदेश :-

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के पत्रांक प.14(50)RSMSSB/अर्थना/ पटवार/पात्रता जांच-11/2811/296 दिनांक 26.02.2019, 321 दिनांक 28.02.2019, 346 दिनांक 05.03.2019 व 729 दिनांक 28.03.2019 के द्वारा पटवार सीधी भर्ती परीक्षा-2015 में अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को सुपुर्द-की-गई।

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्रांक: राम/मू-अ./परीक्षा/प-279/2017 /8924-56 दिनांक 10.07.2019 से जिले में नियुक्ति हेतु निम्नांकित 18 आवंटित अभ्यर्थियों को पटवारी के पद पर 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में अग्रान्कित शर्तों पर एतद् द्वारा अस्थायी नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	रोल नम्बर	मेरिट क्रमांक	चयनित वर्ग	अभ्यर्थी का नाम व पति का नाम
1	101964	12883	OBCF	ममता चौधरी / राम नारायण चौधरी
2	112255	2255	OBCM	हनुमाना राम गोदारा / जय किशन गोदारा
3	114166	2224	OBCM	मुकेश कुमार सेनी / मंगतु राम सेनी
4	114727	2242	OBCM	गणेश नारायण जादू / शंकर लाल जादू
5	130124	2235	OBCM	सत्पाल सिंह नेहरा / खांगा राम नेहरा
6	130725	3108	MBCM	गुलाब सिंह गूर्जर / धाशी लाल मूर्जर
7	133479	98105	WIDSC	सुनीता महावर / हेमराज महावर
8	138026	2172	OBCM	अशोक कुमार / ओम प्रकाश गोस्वामी
9	141406	2184	OBCM	विकास कुमार / मोहन लाल
10	146852	2245	OBCM	सीता राम चौधरी / बाबू लाल चौधरी
11	156152	40225	GENF	मनीषा शर्मा / तपेश्वर शर्मा
12	158457	12891	OBCF	दीपिका वडेरा / चोथ मल वडेरा
13	158896	2207	OBCM	बनवारी चौधरी / छितर मल चौधरी
14	161971	2195	OBCM	राजेन्द्र लामरोर / राम चन्द्र लामरोर
15	164898	2158	OBCM	राकेश नाथ / रामकुमार
16	192841	2213	OBCM	विनोद नागर / नन्द किशोर नागर
17	194291	13011	OBCF	आरती जांगीड / महेश कुमार जांगीड
18	197128	2140	OBCM	लोकेश कुमार मालव / लक्ष्मी नारायण मालव

1. पटवारी के पद पर अन्तिम रूप से चयनित इन अभ्यर्थियों का पदस्थापन एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 14189/2017 सन्तोपराशव बनाम सरकार व अन्य, 15198/2017 दौलतसिंह राठौड व अन्य, 15680/2017 रोहिताश योगी बनाम सरकार व अन्य, 16346 /2017 विनोद कुमार बनाम सरकार व अन्य, 16346/2017, नरेन्द्रसिंह राजपूत बनाम सरकार व अन्य, 16538/2017 बजरगलाल सेनी बनाम सरकार व अन्य, 16538/2017 विनोद कुमार बनाम सरकार व अन्य, 17009/2017 कैलाशचन्द स्वामी बनाम सरकार व अन्य, 13333/2017 हीराराम बनाम सरकार व अन्य, 13327/2017 अमाना राम चौधरी बनाम सरकार व अन्य, 21426/2017 दशरथ चौहान बनाम सरकार व अन्य, 15962/

लगातार .....2

- 2017 सोहनराम बनाम सरकार व अन्य, 2112/2018 कमलसिंह बनाम सरकार व अन्य, 2112/2018 लालसिंह बनाम सरकार व अन्य, 16263/2018 मेघा सक्सेना बनाम सरकार व अन्य, 12769/2018 अन्तिम बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।
2. उक्त नियुक्ति राजस्थान लेण्ड रिकार्ड्स रूल्स 1957 के नियम - 4 एवं तत्पश्चात् समय समय पर जारी अधिसूचना/ निर्देशों/ परिपत्रों के अन्तर्गत शासित होंगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश परिपत्र लागू होंगे, साथ ही राजस्थान सेवा नियम तथा कार्मिक विभाग द्वारा जारी नियमों/ परिपत्रों के अधीन होगी।
3. अस्थायी रूप से नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को दिनांक 19.07.2019 तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का अनुबंध पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण उपरान्त राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाएँ अर्पण करनी होगी अन्यथा समस्त धन राशि राज्य सरकार को लौटानी होगी, के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे एवं समस्त मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन करवायेंगे। दस्तावेज सत्यापन के उपरान्त दिनांक 19.07.2019 को इस कार्यालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत कर कार्यग्रहण करेंगे।
4. अस्थायी रूप से नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को राजस्व मण्डल एवं राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार दिनांक 22.07.2019 से छह माह का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। सत्र की सम्पूर्ण अवधि में उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी।
5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम दरों पर संदत्त किया जायेगा व अन्य शर्तें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अन्तर्गत संदत्त होंगे।
6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण होने पर नियमानुसार पटवारी पद की सेवाएँ नियमित करने की कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी सेवाएँ नियमित नहीं की जावेगी।
7. दिनांक 01.06.2002 एवं इसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने पर कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना संख्या प. 7(1) कार्मिक/क-2/2001 दिनांक 20.06.2001 एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या प.13(3) वित्त/नियम/पेशन/8/2001 दिनांक 04.10.2001 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
8. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र संख्या प.8(1) कार्मिक/क-2/2002 दिनांक 09.06.2008 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या प.13(1) वित्त/नियम/2003 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार इस नियुक्ति पर अंशदायी पेशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
9. यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरान्त एक माह तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(सिद्धार्थ सिहाग)

जिला कलक्टर(भू अभि.)

झालावाड़

क्रमांक - सम/2019/4141-65

दिनांक:- 15.07.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
2. निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
3. संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा संभाग कोटा
4. जिला पुलिस अधीक्षक ..... को पुलिस चरित्र सत्यापन हेतु।
5. कोषाधिकारी, झालावाड़।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजकर लेख है कि आप अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जांच कर प्रमाण पत्र उसी दिन ही उपलब्ध करावें।
7. जिला सूचना अधिकारी एन0आई0सी0 झालावाड़ को नियुक्ति पत्र वेबसाइट पर डालने हेतु। DOIT,
8. संबंधित श्री ..... को पालनार्थ।
9. व्यक्तिगत पत्रावली श्री .....
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर(भू अभि.)

झालावाड़